



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 2018/वैशाख 21, 1940

No. 308]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 11, 2018/VAISAKHA 21, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2018

सं. 36 /2018-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 447(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 46 तथा 47 के साथ पठित धारा 157 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, आगम पत्र (इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन) रेग्यूलेशन, 2011 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा लोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ** – (1) इन विनियमों को आगम पत्र (इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन और पेपरलेस) रेग्यूलेशन, 2018 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम उन सभी सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से माल के आयात पर लागू होंगे जहां भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम अमल में हैं।
(3) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं –

(1) इन सभी विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

(ख) "अधिकृत व्यक्ति" से अभिप्राय उस आयातक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति से है जिसके पास सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियम, 2013 या इसी तरह के मामलों से संबंधित किसी अन्य विनियमन के तहत वैध लाइसेंस हो और इसमें कस्टम ब्रोकर के वे कर्मचारी भी शामिल हैं, जिसे सीमा शुल्क सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियम, 2013 अथवा इसी तरह के मामलों से संबंधित किसी अन्य विनियमन के तहत फॉर्म जी में फोटो पहचान पत्र जारी किया गया हो;

(ग) “आगम पत्र” से अभिप्राय है भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा को स्वीकार किया गया और एक यूनिक नंबर जनरेट किया गया और उस विशेष आगम पत्र को दिया गया, और इसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या प्रिंट-आउट शामिल हैं;

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अर्थ वही होगा जो इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में दिया गया है;

(घ) “इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा” से अभिप्राय आयातित वस्तुओं से संबंधित विवरण से है जोकि भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम में दर्ज हैं;

(ङ) “आईसीईजीएसटी” से अभिप्राय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली से है;

(च) “सेवा केंद्र” से अभिप्राय उस स्थान से है जिसे प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जहां इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा की डेटा प्रविष्टि की जाती है;

(छ) “सहायक दस्तावेज” से अभिप्राय इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्य रूप में उन दस्तावेजों से है, जोकि अधिनियम की धारा 17 और 46 के तहत आयातित वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक हैं।

(2) जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है और इसमें परिभाषित नहीं किया गया है परंतु सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जैसा कि उक्त अधिनियम में दिया गया था।

3. अधिकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा करेगा और स्वयं सहायक दस्तावेजों पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर करेगा और उनकी सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में प्रविष्टि करेगा और इससे उसे सेवा केंद्र पर सेवाओं का लाभ उठाकर सहायक दस्तावेजों के साथ सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर की गई इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा भी मिल सकती है।

स्पष्टीकरण.— इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, शब्द “डिजिटल हस्ताक्षर” का वही अर्थ होगा जैसाकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में दिया गया है;

4. (1) अधिकृत व्यक्ति, जिस दिन विमान या जहाज या वाहन सामान लेकर उस सीमा शुल्क स्टेशन पर आता है, जिस सीमा शुल्क स्टेशन पर ऐसी वस्तुओं को घरेलू उपभोग या गोदाम के लिए मंजूरी दी जानी है, के अगले दिन के अगले दिन (छुट्टियों को छोड़कर) की समाप्ति से पहले आगम पत्र को फाइल करेगा।

(2) सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा की प्रविष्टि या सेवा केंद्र में डेटा प्रविष्टि कराने के बाद आगम पत्र को फाइल किया गया और और स्व-मूल्यांकन पूरा कर लिया गया, माना जाएगा। उक्त घोषणा के लिए भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम के द्वारा आगम पत्र नंबर जनरेट किया जाएगा और आगम पत्र की स्व-मूल्यांकन की हुई प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिकृत व्यक्ति को प्रेषित की जा सकती है या सेवा केंद्र पर मुद्रित की जा सकती है।

(3) जहां उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर आगम पत्र फाइल नहीं किया जाता है तथा सीमा शुल्क का उचित अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि इस तरह के देरी के लिए पर्याप्त कारण नहीं था तो आयातक को इस चूक के लिए शुरुआती तीन दिनों के लिए प्रति दिन पांच हजार रुपये तथा उसके बाद होने वाली प्रत्येक चूक के लिए दस हजार रूपए प्रतिदिन की दर से आगम पत्र की देर से प्रस्तुति के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

वशर्ते कि जहां उचित अधिकारी देरी के कारणों से संतुष्ट हो, तो वह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 46 की उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक में संदर्भित प्रभारों को छोड़ सकता है।

(4) किसी भी बिल के संबंध में उप-विनियम (3) में संदर्भित विलंब से प्रस्तुत करने पर लगने वाला प्रभार किसी विशेष आगम पत्र के संबंध में देय शुल्क से अधिक नहीं होगा।

वशर्ते कि जहां आगम पत्र के संबंध में कोई भी शुल्क या अन्य प्रभार किसी भी कारण से जैसे छूट या अन्यथा, देय नहीं है, वहां विलंब से प्रस्तुत करने पर लगने वाला प्रभार पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।

5. मूल्यांकन पूरा होने के बाद, धारा 47 या धारा 68 की उप-धारा (1), जैसा भी मामला हो, के तहत आयातित सामान की जांच, यदि आवश्यक हो तो, के पश्चात निकासी की अनुमति देने का आदेश दिया जाएगा और विनियमन 5 के तहत आदेश को सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर रिकॉर्ड किया जा सकता है और अधिकृत व्यक्ति, कस्टोडियन और अधिकृत व्यक्ति द्वारा नामित किसी भी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जा सकता है।

6. प्राधिकृत व्यक्ति आगम पत्र को प्रस्तुत करने की तिथि से 5 साल की अवधि के लिए आगम पत्र की मूल्यांकन प्रति को डिजिटल या अन्यथा, रूप में तथा सभी सहायक दस्तावेजों को, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा प्रस्तुत करते समय इस्तेमाल किया था या उन पर भरोसा किया था, अपने पास रखना होगा और उन्हें अधिनियम या उस समय के किसी अन्य कानून के तहत किसी भी कार्यवाही या कार्यवाही के संबंध में कस्टम के सामने प्रस्तुत करना होगा।

7. आगम पत्र की प्रमाणित प्रति को अधिकृत व्यक्ति के अनुरोध पर जेनरेट किया जा सकता है यदि तत्समय प्रवृत्त कानून के प्रावधान के अनुपालन के लिए उसे उक्त प्रतिलिपि की आवश्यकता होती है।

8. कोई अधिकृत व्यक्ति, जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रहता है तो वह जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा जिसकी राशि पचास हजार रुपये तक की जा सकती है।

[फा. सं. 450/148/2015-सीमा-शुल्क (IV)]

जुवैर रियाज, निदेशक (सीमा शुल्क)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2018

No. 36/2018-Customs (N.T.)

G.S.R. 447(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with sections 46 and 47 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the Bill of Entry (Electronic Integrated Declaration) Regulations, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title, extent and commencement. -

- (1) These regulations may be called the Bill of Entry (Electronic Integrated Declaration and Paperless Processing) Regulations, 2018.
- (2) They shall apply to the import of goods through all customs stations where the Indian Customs Electronic Data Interchange System is in operation.
- (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
- (b) "authorised person" means an importer or a person authorised by him who has a valid licence under the Customs Brokers Licensing Regulations, 2013 or any other regulation dealing with the similar matters and it also includes an employee of the Customs broker who has been issued a photo identity card in Form G under the Customs Brokers Licensing Regulations, 2013 or any other regulation dealing with the similar matters;
- (c) "bill of entry" means electronic integrated declaration accepted and a unique number generated and assigned to that particular bill of entry by the Indian Customs Electronic Data Interchange System, and includes its electronic records or print-outs;

Explanation.- For the purposes of this clause, the electronic record shall have the meaning assigned to it as in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(d) "electronic integrated declaration" means particulars relating to the imported goods that are entered in the Indian Customs Electronic Data Interchange System;

(e) "ICEGATE" means the customs automated system of Central Board of Indirect Taxes and Customs;

(f) "service centre" means the place specified by the Principal Commissioner or the Commissioner of Customs, as the case may be, where the data entry of an electronic integrated declaration, is carried out;

(g) "supporting documents" means the documents in the electronic form or otherwise, which are relevant to the assessment of the imported goods under sections 17 and 46 of the Act.

(2) The words and expressions used and not defined herein but defined in the Customs Act, 1962 (52 of 1962) shall have the same meaning as assigned to them in the said Act.

3. The authorised person shall enter the electronic integrated declaration and the supporting documents himself by affixing his digital signature and enter them on the Customs Automated System and he may also get the electronic integrated declaration made on the customs automated system along with the supporting documents by availing the services at the service centre.

Explanation.- For the purposes of this regulation, the words "digital signature" shall have the meaning assigned to it in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

4. (1) The authorised person shall file the bill of entry before the end of the next day following the day (excluding holidays) on which the aircraft or vessel or vehicle carrying the goods arrives at a customs station at which such goods are to be cleared for home consumption or warehousing.

(2) The bill of entry shall be deemed to have been filed and self-assessment completed when after entry of the electronic integrated declaration on the customs automated system or by way of data entry through the service centre, a bill of entry number is generated by the Indian Customs Electronic Data Interchange System for the said declaration and the self-assessed copy of the Bill of Entry may be electronically transmitted to the authorised person or printed out at the service centre.

(3) Where the bill of entry is not filed within the time specified in sub-regulation (1) and the proper officer of Customs is satisfied that there was no sufficient cause for such delay, the importer shall be liable to pay charges for late presentation of the bill of entry at the rate of rupees five thousand per day for the initial three days of default and at the rate of rupees ten thousand per day for each day of default thereafter:

Provided that where the proper officer is satisfied with the reasons of delay, he may waive off the charges referred to in the second proviso to sub-section (3) of section 46 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

(4) The late presentation charges referred to in sub-regulation (3) above in respect of any bill of entry shall not exceed the duty payable in respect of that particular bill of entry.

Provided that where the duty or any other charges in respect of any bill of entry are not payable for any reason like exemption or otherwise, the late presentation charges shall not exceed fifty thousand rupees.

5. After the completion of the assessment, an order permitting clearance under sub-section (1) of section 47 or section 68, as the case may be, shall be made, after examination of the imported goods if so required and the order under regulation 5 may be recorded on the customs automated system and conveyed electronically to the authorised person, the custodian, and to any other person (s) designated by the authorised person.

6. The authorised person shall retain, for a period of 5 years from the date of presentation of the bill of entry, the assessed copy of the bill of entry, digital or otherwise, and all supporting documents in original, which were used or relied upon by him in submitting the electronic integrated declaration, and shall produce them before Customs in connection with any action or proceedings under the Act or under any other law for the time being in force.

7. An authenticated copy of bill of entry may be generated at the request of the authorised person if possession of the said copy is required by him for compliance of provisions of law for the time being in force.

8. Any authorised person who contravenes any provision of these regulations or who fails to comply with any provisions of these regulations shall be liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees.

[F. No. 450/148/2015-Cus. (IV)]

ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)